

RAJYA SABHA

Thursday, the 12th May, 2005/22 Vaisakha, 1927 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

RE: ALLEGED ADOPTION OF DOUBLE STANDARDS BY CBI

श्री सभापति : क्वेश्चंस

कुमारी मायावती (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : क्या आपका क्वेश्चन है?

कुमारी मायावती : नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज प्रकरण मामले में मेरे प्रति सीबीआई द्वारा अपनाए गए दोहरे मानदंड ने पूरे देश के दलित-शोषितों में जबर्दस्त आक्रोश पैदा कर दिया है। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : मायावती जी, यह क्वेश्चन ऑवर है, इसके बाद अगर आप चाहें तो बोल लें।

कुमारी मायावती : सभापति जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, कम समय में मैं अपनी बात को रखना चाहूंगी। यह बहुत गम्भीर मामला है। इस मामले को लेकर पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है।

श्री सभापति : आप क्वेश्चन ऑवर के बाद बोल लीजिए।

कुमारी मायावती : माननीय सभापति जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यह मामला बहुत गम्भीर है।

माननीय सभापति जी, ताज प्रकरण मामले में मेरे प्रति सीबीआई द्वारा जो दोहरा मापदंड अपनाया गया है, उससे पूरे देश के दलित और शोषितों में जबर्दस्त आक्रोश है। मैंने डबल मापदंड अपनाने की बात क्यों कही है? इसलिए मैं संसद में इसलिए यह बात नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने आपको बचाने के लिए सीबीआई के ऊपर या सरकार के ऊपर मैं कोई दबाव बनाना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय सभापति जी, मैंने दोहरे मापदंड की बात इसलिए कही है, क्योंकि मेरे साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया है, ताकि हाउस में भी सभी पार्टियों के सदस्यों को इस बात की सही जानकारी मिल जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ताज प्रकरण जो मामला है, इसकी जानकारी पूरे देशवासियों को है और सदन को भी इसकी जानकारी है। ताज प्रकरण मामले में जिन लोगों को इन्वाल्ड किया गया, उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकारी थे और कुछ गवर्नमेंट के भी

अधिकारी थे, उसमें मुझे भी शामिल किया गया। ताज प्रकरण मामले को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। मैंने दोहरे मापदंड की बात क्यों कही है क्योंकि ताज प्रकरण मामले में जब सीबीआई ने एफ आई आर दर्ज की, मुझे छोड़कर ताज प्रकरण मामले में जो लोग भी फंसे हुए थे, उनके खिलाफ केवल सिंगल एफआईआर दर्ज हुई, अर्थात् एफआईआर दर्ज हुई, जो केवल ताज प्रकरण मामले से जुड़ी हुई थी। लेकिन मेरे ऊपर डबल एफआईआर दर्ज हुई ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक दलित वर्ग से ताल्लुक रखती हूँ इसलिए मेरे ऊपर डबल एफआईआर दर्ज हुई है – एक तो ताज प्रकरण मामले की एफआईआर दर्ज हुई और दूसरी ताज प्रकरण मामले की आड़ में डीए का केस भी मेरे ऊपर बनाया गया, इसको लेकर भी दूसरी एफआईआर दर्ज की गयी। जबकि जो दूसरे अधिकारी थे, उनके ऊपर केवल सिंगल एफआईआर दर्ज हुई। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच की और जांच की रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि यह जो दूसरा केस है, आपने डीए का जो केस बनाया है, इसके बारे में आपको कुछ कहना है या ताज प्रकरण मामले में यह जो आप कहते हैं कि मायावती के खिलाफ डीए का केस भी बना है, क्या उसके आपको कुछ सबूत मिले हैं तो सी बी आर ने मनीय सुप्रीम कोर्ट के अन्दर यह कह है खीई टाय फ़ड़खीआड़ण मामले को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने जो धनराशि रिलीज की थी, क्योंकि माननीय सभापति जी, यह 175 करोड़ का प्रोजेक्ट था इसमें से तो मेरी सरकार में केवल 17 करोड़ रुपए ही रिलीज हुए थे, लेकिन मीडिया के माध्यम से उस को तरीके से उछाला जाता रहा है कि मेरी सरकार में, जो 175 करोड़ रुपए रिलीज हुए और इसमें मैंने बड़ा भारी घपला किया है जब कि मेरी सरकार में, 175 करोड़ रुपए का जो यह प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें से केवल 17 करोड़ रुपए ही रिलीज हुए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सी0बी0आई0 से पूछा कि 17 करोड़ रुपयों की आप ने जो जांच-पड़ताल की है, उस में ऐसे कौन से आप को सुबूत मिले हैं जिसके आधार पर आप ने डी0 ए0 का केस बनाया? तो उन्होंने बोला कि हमें कोई सुबूत नहीं मिला है। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें केवल ताज से संबंधित रिपोर्ट चाहिए, हमें इसके से कज़ैट्र लेना-देना नहीं है, आप जानें और आप का काम जाने। जब यह बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी और सी0 बी0 आई0 ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि हमें 17 करोड़ से संबंधित कोई सुबूत नहीं मिला है, ऐसा हमें कोई लिंक नहीं मिला है अर्थात् इन के नाम से या इन के मां-बाप, भाई-बहन या रिश्ते-नातेदारों से 17 करोड़ का कोई लिंक नहीं मिला है तो फिर सी0 बी0 आई0 मेरी संपत्ति की जांच क्यों कर रही है? माननीय सभापति जी, मैं आप के माध्यम से सरकार से, और इस समय माननीय प्रधान मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, कि हमें 17 करोड़ रुपयों में से मायावती की संपत्ति के साथ कोई लिंक जुड़ा हुआ नहीं मिला है और न इन के मां-बाप, भाई-बहन या रिश्ते-नातेदारों से मिला है तो फिर सी0बी0आई0 मेरे खिलाफ, मेरी संपत्ति, मेरे मां-बाप, भाई-बहन और रिश्ते-नातेदारों की संपत्ति की इनवेस्टीगेशन क्यों कर रही है? सभापति जी, मेरे खिलाफ फिर डी0 ए0 का केस किस आधार पर बनाया? डी0 ए0 का

केस मेरे मां-बाप, भाई-बहन, रिश्ते-नातेदारों की संपत्ति को मेरे से जोड़ कर बनाया गया है। अब मान लीजिए मेरे स्थान पर यदि किसी नेशनल पार्टी के प्रेसीडेंट की संपत्ति को, उनके मां-बाप, भाई-बहन या रिश्ते-नातेदारों की संपत्ति से जोड़ दिया जाएगा। तो वह अपने आप ही आय से अधिक संपत्ति बन जाएगी। वह अपने आप ही डी० ए० का केस बन जाएगी। सभापति जी, सी० बी० आई० ने मेरे मामले में यह किया है कि मेरे मां-बाप, भाई-बहन और रिश्ते-नातेदारों की संपत्ति को मेरी संपत्ति से जोड़ के मेरे खिलाफ डी० ए० का केस बना दिया है और उसकी जांच-पड़ताल कर के उस को बड़े पैमाने पर मीडिया में यह कहकर उछाला जाता है कि मायावती ने 175 करोड़ रुपए का घपला किया।

श्री सभापति : ठीक है।

कुमारी मायावती : माननीय सभापति जी, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सरकार सी० बी० आई० के इस रवैये से खुश है, सहमत है कि सी० बी० आई० कर रही है तो मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी को यह कहना है कि इस देश में जितनी भी नेशनल पार्टीज है, और जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं और उन या उन पार्टियों के जो भी नेशनल प्रेसीडेंट हैं, उन के मां-बाप, भाई-बहन और रिश्ते-नातेदारों की संपत्ति को भी उनसे जोड़कर उनके खिलाफ भी डी० ए० का केस होना चाहिए, उनकी भी जांच-पड़ताल होनी चाहिए ताकि पूरे देश की जनता को मालूम पड़ जाय कि किसके पास कितनी संपत्ति है।

श्री सभापति : बस हो गया ठीक है।

कुमारी मायावती : लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि मैं दलित वर्ग से ताल्लुक रखती हूँ, तो ठीक नहीं है। माननीय सभापति जी, मैं आप के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है ... (व्यवधान) ... तो मैं समझूंगी कि सी० बी० आई० जो कुछ कर रही है, सरकार के इशारे पर कर रही है। ... (व्यवधान) ... और इस सरकार को जो हमने समर्थन दे रखा है, हमें समर्थन वापिस लेने के बारे में फिर मजबूर होना पड़ेगा। ... (व्यवधान) ... इसलिए माननीय सभापति जी, आप के माध्यम से मेरी सरकार से कुछ मांगा है कि ... (व्यवधान) ...

श्री अबू आसिम आजमी: सर, क्वेश्चन आवर तो होते रहते हैं ... (व्यवधान) ... यह गलत है... (व्यवधान) ...

شری ابو عاصم اعظمی: سر، کوئسچن اور توہوتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔۔۔۔۔ مداخلت۔۔۔۔۔

कुमारी मायावती : सी० बी० आई० की स्वायत्तता बरकरार रखी जाए। ... (व्यवधान)...

†Transliteration in Urdu Script.

श्री सभापति : एक मिनट, आप बैठ जाइए। हां, आप कहिए।

कुमारी मायावती : माननीय सभापति जी, ... (व्यवधान) ... मैं अपनी बात कह दूँ, फिर आप अपनी बात कह लेना। माननीय सभापति जी, आप के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है, माननीय प्रधान मंत्री जी भी इधर बैठे हुए हैं, तो मेरी इनसे भी यह मांग है कि सी० बी० आई० की स्वायत्तता को बरकरार रखी जाए, सी० बी० आई० की जांच प्रक्रिया में दोहरे मापदंड खत्म किए जाएं। परन्तु जिस प्रकार से मेरे साथ किया गया है, यह ठीक नहीं है। सी० बी० आई० का काम-काज जातीय भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। सी० बी० आई० का चरित्र ऐसा बनाया जाए कि किसी को इसकी निष्पक्षता पर शक नहीं हो सके। इसके साथ-साथ माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि सी० बी० आई० के ढांचे में बुनियादी परिवर्तन किए जाएं और इसमें उच्च पदों पर अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित जो लोग हैं, जिसमें सिक्ख, मुस्लिम, मुस्लिम, इसाई, पारसी और बौद्ध लोग आते हैं, उस वर्गों के अधिकारियों की भी, हर स्तर पर नियुक्ति होनी चाहिए। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : बस, अब खत्म कीजिए। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : ताकि हमें लगे कि सी. बी. आई. में जो लोग रखे जा रहे हैं, वे निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगी कि डी.ए.का केस जो मेरे ऊपर बनाया गया है... (व्यवधान)...

श्री सभापति : ठीक है। अब आप बैठ जाइए। आपने कह लिया। ... (व्यवधान)

...

कुमारी मायावती : माननीय प्रधान मंत्री जी इसके बारे में जवाब दें। यदि सी. बी. आई. इसी फार्मूले का लेकर चल रही है तो ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : ठीक है। ठीक है। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : दूसरे लोगों पर भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाए। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : बस, ठीक है। ठीक है। हो गया। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या इसलिए कि मैं दलित वर्ग से हूँ? माननीय प्रधान मंत्री जी, यदि ऐसा होगा तो हम, यू. पी. ए. के जो आपके घटक दल हैं, उसके अन्दर शामिल नहीं हैं, हम बहुजन समाज के इंटरेस्ट को लेकर आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। यदि बहुजन समाज की आवाज का आप बंद करने के लिए और हमारी पार्टी को डिफेम करने के लिए ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : हो गया, हो गया। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : मायावती जी, बहुत हो गया । ... (व्यवधान) ... बहुत हो गया ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : आप लोग मेरे ऊपर जान-बूझ कर डी. ए. का केस बनाकर ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : कृपया बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : मेरी इमेज को खराब करेंगे तो हमारी पार्टी को मजूबर होकर फिर से सोचना पड़ेगा कि ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आप बैठिए। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : हम यू. पी. ए. सरकार को समर्थन जारी रखें या न रखें। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : बस, बस। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : जरूरी नहीं है कि हम आपको समर्थन न जारी रखेंगे। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : बस, अब आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : यदि हमारे साथ ऐसा रवैया अपनाएंगे, तो हम हम आपको समर्थन जारी नहीं रखेंगे। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है। ... (व्यवधान) ...

श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश) : प्रधान मंत्री जी बहुत ईमानदार आदमी है। वे बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। ... (व्यवधान) ...

شری ابو عاصم اعظمی : پردھان منتری جی بہت ایماندار ہیں۔ وہ بالکل ایمانداری سے کام کریں گے۔۔۔۔۔مداخلت۔۔۔۔۔

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : महोदय, एक मिनट ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : एक मिनट, एक मिनट । ... (व्यवधान) ...

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश में सी. बी. आई. की बड़ी प्रतिष्ठा है। सी. बी. आई. का आचरण ऐसा होता है, इसके ऐसे दूसरे मापदंड होतें हैं कि ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : अब आप दूसरा विषय क्यों उठा रहे हैं? ... (व्यवधान) ...

प्रो. राम देव भंडारी : इसकी वजह से इसकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: वह सब हो गया। ... (व्यवधान) ...

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, सी. बी. आई. ने लालू यादव जी को ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। ... (व्यवधान) ...

प्रो. राम देव भंडारी : गिरफ्तार करने के लिए फौज तक को बुलाने का प्रयास किया। महोदय, सी. बी. आई. मैं कुछ पदाधिकारी आ जाते हैं, जो सी. बी.आई. की प्रतिष्ठा को दाग लगाते हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : बस, अब आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ... माननीय सदस्य, वह हो गया। ... (व्यवधान) ...

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, सी. बी.आई. का काम पदाधिकारी, जो अब रिटायर हो चुका है, उसने लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आप लालू जी को क्यों यहां ला रहे हैं? ... (व्यवधान) ...

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, * ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : ठीक है...(व्यवधान)... बाद में... (व्यवधान) ... मैं इसे रिकॉर्ड में नहीं जाने दूंगा ... (व्यवधान) ... आप बैठ जाइए, मैं रिकार्ड होने नहीं दूंगा ... (व्यवधान) ... रिकार्ड होने नहीं दूंगा ... (व्यवधान) ... रिकार्ड मत करिये। अनसुनी नहीं, मैं ज्यादा सुन रहा हूँ। ... (व्यवधान) ... बस, अब ठीक है ... (व्यवधान) ... आप बैठिए।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : सम्मानित सभापति मैं राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मामलों का जिक्र किया है। दो प्रकरण चल रहे हैं, उनमें एक ताज कॉरिडोर केस से संबंधित है और दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स से संबंधित है। मान्यवर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूर्व में डी. एस. पी. ई. एक्ट के मुताबिक जो प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित केसेज थे, उनकी सुपरिटेण्डेंस की जिम्मेदारी, जो सी. बी. आई. देखती थी, वह सरकार के पास रहती थी लेकिन जब से सी. बी. सी. एक्ट, 2003 पास हुआ है, जो हम लोगों ने ही सदन में पास किया है, उसके उपरांत सी. बी. आई. के ऐसे केसेस, जो प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित है, उनकी सुपरिटेण्डेंस की जिम्मेदारी और

* Not recorded

जवाबदारी सरकार की न होकर सी. वी. सी. की हो गई है। इसलिए सरकार का इस प्रकार के केसेज में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं हो सकता है।

माननीय सदस्या ने दूसरी बात यह कही कि सी. बी. आई की स्वायत्तता बरकरार रखी जाए और दूसरी तरफ वे सरकार से कुछ अपेक्षा कर रही हैं और यह कह रही हैं कि सरकार ने उन पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स से संबंधित केस बना दिया। वह केस किसके कार्यकाल में बना है, इसे मैं बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। इसलिए माननीय मायावती जी पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस बना या तासज कॉरिडोर का केस बना, वह इस यू. पी. ए. सरकार के कार्यकाल में नहीं बना, वह एन. डी. ए. सरकार के कार्यकाल में बना, अतः वर्तमान सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जहां तक आपने सी. बी. आई. के ढांचे का प्रश्न उठाया, सी. वी. सी. एक्ट 2003 के मुताबिक एस. पी. एंड एबोव लैवल के सी. बी. आई. ऑफिसर्स का जो चयन होता है, वह सेलेक्शन बोर्ड के द्वारा होता है इसलिए सी. वी. सी. एक्ट 2003 डिजीजिन लिए गए हैं, उन डिजीजन्स के परिपालन में एक तरफ सी. बी. आई. के पी. वी. एक्ट के केसेज का सुपारिंटेंडेंस सी. वी. सी. का है। सी. बी. आई. एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन सरकार का इस इन्वेस्टिगेशन वाले केसेज के मामले में कोई दखल नहीं रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है। उसके अतिरिक्त प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो केसिज सी. बी. आई. के पास आते हैं, उसमें दखलअंदाजी के मामले में सरकार का कोई रोल नहीं रहता है। जहां तक सेलेक्शन का मामला है, सी. वी. सी. बोर्ड, जिसमें अन्य मੈम्बर रहते हैं, वे निष्पक्षता से और सरकार की दखलअंदाजी के बगैर फैसले किया करते हैं।

मान्यवर, इसलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक माननीय सदस्या ने यह कहा है कि सी. बी. आई. का राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो एक तरफ तो वे कहती हैं मैं सरकार की पक्षधर हूं, इसका अर्थ है कि राजनैतिक विरोधी तो वे नहीं हैं। अतः एक तरफ यह बात कहना कि सी. बी. आई. की स्वायत्तता हो, दूसरी तरफ यह कहना कि उसका कहां इस्तेमाल हो और कहां न हो, ये अपने आप में विरोधाभास भरे वक्तव्य है। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं और जोर देकर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यू. पी. ए. की सरकार, डा. मनमोहन सिं जी के नेतृत्व में इस बात की पक्षधर है कि सी. बी. आई. की ऑटोनामी बरकरार रखी जाए।

प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट के अन्तर्गत जो केसिज चल रहे हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन के मामले में सरकार किसी प्रकार से दखलअंदाजी नहीं करेगी और आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ताज कोरिडोर केस का हवाला माननीय सदस्या ने दिया है, यह सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न और डायरेक्शन में चल रहा है, इनमें किसी भी प्रकार से सरकार का कोई रोल नहीं है। इसलिए इस बात

का स्पष्ट माना जाना चाहिए कि एक तरफ़ ताज कॉरिडोर का केस है और माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि सी. बी. आई. ने इस प्रकार की रिपोर्ट दे दी है। तो फिर यह कहना कि ताज कॉरिडोर से संबंधित जो मामला था, सी. बी. आई. ने उसके संबंध में यह कहा, मंत्री होने के नाते मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ। एक तरफ़ तो उनकी स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने उनके पक्ष में कहा और दूसरी तरफ़ यह कहना कि बदले की भावना से इस पर कार्यवाही की जा रही है, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई तारतम्य नहीं बनता है। मैं फिर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, न केवल इस सदन के माननीय सदस्य बल्कि भारत के समस्त नागरिकों से संबंधित कोई भी मामला यदि सी. बी. आई. को एक ऑटोनॉमस बॉडी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी स्वायत्तता रहेगी। उसमें सरकार की कोई दखलअंदाज़ी नहीं रहेगी और बदले की भावना से कोई भी कदम नहीं उठाए जाएंगे।

कुमारी मायावती: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है, मैं आपके संज्ञान में बहुत जरूरी बात लाना चाहती हूँ कि ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: मेरे सामने यह समस्या है कि जिन केसिज पर आप यह ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सी. बी. आई., डी. ए. के केस के तहत जो आपकी सम्पत्ति का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कर रही है, तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को सदन के पटल पर रखें। वह कौन सा आदेश है जिसके तहत सी. बी. आई. डी. ए. के केस के अन्तर्गत मेरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी आदेश नहीं है, आप बताएं और उसे सभा पटल पर रखें।

श्री सभापति: उन्होंने यह नहीं कहा है, नहीं कहा है।

कुमारी मायावती : आपने यह कैसे कहा? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अन्दर सी. बी. आई. ने यह कहा कि हमें 17 करोड़ में से कोई लिंक मायावती की सम्पत्तियों और उसके रिश्तेदारों की सम्पत्तियों से नहीं मिला है, तो फिर सी. बी. आई. डी. ए. के केस के तहत मेरा इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? यह दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है?

श्री सभापति: मैंने कहा ना कि उन्होंने यह नहीं कहा।

कुमारी मायावती : जो बी. जे. पी. कर रही थी, आज वही आप लोग कर रहे हैं। आप यह कह दें कि बी. जे. पी. के ज़माने में केस दर्ज हुआ था, यह ठीक है, बी. जे. पी. के ज़माने में केस दर्ज

हुआ था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं और आप बार-बार सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं और सी बी. आई. भी बार-बार सुप्रीम कोर्ट की बात करती है।

श्री सभापति : मायावती जी, अब आप बैठ जाए। देखिए, मेरे सामने समस्या यह है कि यह मैटर सब्जुडिस है और सब्जुडिस मैटर पर न आप बोलें और न गवर्नमेंट बोले तो अधिक अच्छा है। अगर इन मैटर्स पर हाउस में डिस्कशन शुरू हो गई तो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस पर एक प्रकार की आंच आती है और फिर सब्जुडिम का मतलब ही नहीं रहेगा।

मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो कहा, वह सरकार ने सुन लिया और सरकार जो कह सकती थी, वह सरकार ने कह दिया, अब इस मामले को यहीं छोड़कर क्वेश्चंस पर चलिए। क्वेश्चन नं० 681।

कुमारी मायावती: माननीय सभापति जी, इन्होंने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मायावती जी, आपके बिहाफ पर वह मैं बाद में देख लूंगा। ... (व्यवधान)...

कुमारी मायावती : डी० ए० का, यह गलत बात है।

श्री सभापति: मैं आपके बिहाफ पर देख लूंगा।... (व्यवधान)...

कुमारी मायावती: सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन कौन सा है, ये बताएं। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: चलिए छोड़िए, छोड़िए।... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: आप सुनिए तो। ... (व्यवधान) ... मैंने ताज कॉरिडोर ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती : आप बताएं कौन सा आदेश दिया है डी० ए० के बारे में? ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: यह नहीं कहा इन्होंने। ... (व्यवधान) ... मायावती जी, आप तो कह रही है, वह इन्होंने नहीं कहा।

कुमारी मायावती: सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है सी० बी० आई० को। ... (व्यवधान) ...

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : दूसरे भी अध्यक्ष हैं, दूसरी पार्टियों के भी तो अध्यक्ष हैं ... (व्यवधान) ...

सभापति क्वेश्चंस। ... (व्यवधान) ... क्वेश्चन नं० 681। ... (व्यवधान) ... क्वेश्चन नं० 682। ... (व्यवधान) ... आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, काफी हो गया।... (व्यवधान)...

कुमारी मायावती : माननीय सभापति जी, मंत्री जी हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: अगर इन्होंने हाऊस को मिसलीड किया है तो आप मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ... (व्यवधान)...

कुमारी मायावती : इन्होंने कहा है कि डी0 ए0 से संबंधित जो केस चल रहा है। ... (व्यवधान) ...

श्री अबू आसिम आजमी :सर,... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: आप बैठ जाइए, आजमी जी। ... (व्यवधान) ... सभापति जी, ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: बस, हो गया। ... (व्यवधान)... आपने कहा भी नहीं। ... (व्यवधान) ...

श्री सुरेश पचौरी: सभापति जी, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। मायावती जी, आप दो मिनट के लिए थिलड कर जाइए।

कुमारी मायावती: नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का जो कह रहे हैं ... (व्यवधान) ...

श्री सुरेश पचौरी: आपने अपनी बात कही है, अब आप कृपापूर्वक दो मिनट बैठ तो जाइए। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप इनको भी सुन लीजिए। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती: आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश सदन के पटल पर रख दीजिए। ... (व्यवधान) ... कौन सा आदेश दिया है मेरे डी0 ए0 के केस तहत। ... (व्यवधान) ... आप बता दीजिए... (व्यवधान) ... मैं राजनीति छोड़ दूंगी, मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगी यदि आप यह सबित कर दें हाऊस के अंदर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने (व्यवधान)...

श्री सभापति: मायावती जी, आप एक मिनट इनको सुन लो लीजिए। ... (व्यवधान)...

कुमारी मायावती: कि मेरी जांच- पड़ताल होनी चाहिए। ये हाऊस को मिसलीड क्यों कर रहे हैं? ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: मायावती जी, आप एक बार इनको सुन लीजिए।

श्री सुरेश पचौरी:माननीय सभापति महोदय, मैंने यह कहा है कि माननीय सदस्या से संबंधित दो केस है एक ताज कॉरिडोर केस है और दूसरा डिसप्रपॉजिनेट असेट से संबंधित केस है। दोनों केस पूर्व सरकार, एन0 डी0 ए0 , के कार्यकाल में बने हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन है, वह ताज

[12 May, 2005]

RAJYA SABHA

कॉरिडोर केस से संबंधित है। जहां तक डिसप्रप्रॉशनेट असेट का मामला है, वह मामला अभी भी विचारधीन है, मैंने यह कहा। मैंने दोनों को क्लब करके नहीं बोला, जिसकी वजह से आप उत्तेजित हो रही है। ... (व्यवधान) ...

कुमारी मायावती: आपने कहा ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: एक मिनट, इन्हें स्पष्ट कर लेने दीजिए, मायावती जी Please take your seat.

कुमारी मायावती : आपने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: ताज कॉरिडोर का केस मैंने बोला। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन और सुपरविजन में ताज कॉरिडोर केस चल रहा है, एक बात मैंने यह बोली है। दूसरा डिसप्रप्रॉशनेट असेट से संबंधित केस चल रहा है और मैंने इसको क्लब किया है, वह अलग से मैंने बोला है।

श्री सभापति: ठीक है। क्वेश्चन ।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*681. [The questioner (Shri B.K. Hari Prasad) was absent. For answer *vide* page 34 *infra*.]

*682. [The questioners (Shri Ravi Shankar Prasad and Shri B.J. Panda) were absent. For answer *vide* page 34 *infra*]

Project Linking Delhi to Trivandrum

*683. SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Will the Minister of SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any project linking Delhi and Hyderabad and Hyderabad-Chennai-Bangalore-Trivandrum under Golden Quadrilateral Project;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SHIPPING ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.